प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 33/2019

अनवान प्रकरण

1. मोहम्मद नूर पुत्र अब्दुल रहमान शेख निवासी बागोर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के विधिक वारिसान
   1/1–हबीबनूर पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   1/2–वाहिदनूर पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   1/3–सुल्ताननूर पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   1/4–आमीर अहमद पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   1/5–आशिया बानू पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   1/6–लाडलीबानू पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
2. अहमदनूर पिता अब्दुल रहमान के विधिक वारिसानः–
   2/1–बिस्मिलाबेगम पत्नि स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   2/2–मुजिबुर रहमान पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   2/3–अताउर रहमान पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   2/4–शमीम पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल
   2/5–नसीम पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल ––––वादीगण।

बनाम

1. मोहम्मद इब्राहिम पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली।
2. ईसहाक मोहम्मद पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली।
3. नूर मोहम्मद पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली।
4. सुलेमान पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली।
5. अल्लाहरखी बाई बेवा स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली।
6. हलीमा बाई पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली।
7. हरलाल पिता देईचन्द जाट मृतक के विधिक वारिसान निवासी बाजिया का खेड़ाः–
   7/1–नानूराम पिता हरालाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
   7/2–नन्दूदेवी पुत्री हरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   7/3–बाली देवी पुत्री हरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
8. सोलाल पिता देईचन्द जाट मृतक के विधिक वारिसान नि0बाजिया का खेड़ाः–
   8/1–उदयराम पिता स्व0 सोलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   8/2–रूकमण पुत्री स्व0 सोलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   8/3–जमनादेवी पुत्री सोलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   8/4–शंकरलाल पिता सोलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा मृतक के विधिक वारिसान–
   8/4/1–मोहनीदेवी पत्नि शंकरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   8/4/2–अभिषेक पिता शंकरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
9. हीरालाल पिता देईचन्द जाट नि0बाजिया का खेड़ा मृतक के विधिक वारिसानः–
   9/1–गोपीलाल पिता हीरालाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   9/2–लक्ष्मणलाल पिता हीरालाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   9/3–गंगा पुत्री स्व0 हीरालाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
   9/4–स्व0 सोहनी पुत्री हीरालाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल के विधिक वारिस–
   9/4/1–बद्रीलाल पिता लेहरू जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
10. लक्ष्मण लाल पिता हीरालाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
11. तहसीलदार सा0 मांडल जिला भीलवाड़ा

––––प्रतिवादीगण

:: वाद बाबत –बटवाड़ा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी घोषणा
(अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 R.T.Act)

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपस्थितः- अधिवक्ता वादीगणः- श्री एस0एल0वेद
प्रतिवादीगण- स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक- 20-10-2022

1. यह कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागोर में स्थित आराजी नम्बर 3737-3738-3743 -3744-3747 कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा व चाह नम्बर 3746 रकबा 04 बिस्वा में स्वयं का 1/2 हिस्सा घोषित करा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/2-1/2 हिस्सेनुसार बटवाड़ा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 13.11.1973 को प्रस्तुत किया।

2. यह कि वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की मौरूसी मिल्कियत की है अर्थात वादोक्त आराजीयात हाजी हसनखां शेख निवासी बागोर की खातेदारी की थी। स्व0 हसनखां जी की मृत्यु हो चुकी है जिनके दो पुत्र अब्दुल रहमान व जान मोहम्मद पिता हसनखां हुए। दोनों पुत्र फौत हो चुके हैं। परन्तु वादवर्णित आराजीयात अकेले जान मोहम्मद पिता हसनखां के नाम दर्ज हो जाने व इनकी मृत्यु के पश्चात (जानू)जान मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी मोहम्मद इब्राहिम, ईसहाक मोहम्मद, नूर मोहम्मद, सुलेमान पिता स्व0 जान मोहम्मद के द्वारा आराजीयात को विभिन्न विक्रय विलेखों के माध्यम से प्रतिवादी हरलाल, सोलाल, हीरालाल पिता देईचन्द व लक्ष्मणलाल पिता हीरालाल को दिनांक 17.09.1973 को विक्रयविलेख निष्पादित करा विक्रय कर दी।

3. वादवर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा निहीत होने से दिनांक 13.05.2005 को संशोधित वाद प्रस्तुत किया जिसमें वादीगण के द्वारा वादोक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने व चाह नं0 3746 में 3/4 हिस्से घोषित किए जाने का पेश किया। उक्त आराजीयात के हाल नम्बर 4712 रकबा 3.16 बीघा, आ0नं0 4713 रकबा 1.15 बीघा, आ0नं0 4716 रकबा 1.15 बीघा, आ0नं0 4740 रकबा 12.06 बीघा व आ0नं0 4741 रकबा 6.02 बीघा कुल कीता 5 कुल रकबा 25.14 बीघा बने जो राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बागोर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में जानू पिता हसनखां मुसलमान सा0देह खातेदार दर्ज है।

4. वादवर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य प्रकरण वर्ष 1973 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल में चल रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल द्वारा समय-समय पर निर्णय पारित किए जिन्हें पक्षकारान द्वारा सक्षम न्यायालयों में अपीलें प्रस्तुत कर निरस्त करा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड होता रहा। वर्तमान में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 07.09.2021 से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण संशोधित वाद के जवाब एवं पक्षकारान की तलबी में विचाराधीन है। प्रकरण में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं 7 लगायल 9 के वारिसान व स्वयं 10 के द्वारा उपस्थित होकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बागोर में आपसी समझौता(राजीनामा) दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत किया।

5. प्रस्तुत राजीनामा के तथ्य इस प्रकार है कि वाद वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 7-8-9-10 को 17.09.1973 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख से विक्रय कर दिए जाने के कारण वादवर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के वारिसान वं 10 के राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारी निर्वाहित हो चुके है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं

पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
... अभियान 2021

चाहते हैं। उक्त प्रतिवादीगण का वादवर्णित आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा ही निहीत है जिसे इनके द्वारा विक्रय कर दिया है परन्तु वादीगण का 1/2 हक हिस्सा बनता है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम बागोर की आराजी नम्बर 4716 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 4741 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा में से (आ0नं0 4739/1 के दक्षिण मे लगती हुई उत्तर-पूर्व का) 14 बिस्वा भू-भाग कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा एवं चाह की आराजी नम्बर 4717 रकबा 04 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि वादीगण के हिस्से में रहेगी तथा आ0नं0 4713 के पूर्वी तरफ का 06 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 7-8-9 के वारिसान एवं 10 के हक हिस्से में रहेगी। इस सम्बन्ध में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है इसी अनुसार राजीनामा होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत राजीनामा एवं नजरी नक्शे को वादीगण एवं उनके अधिवक्ता ने तस्दीक कर सही होना स्वीकार किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 एवं 7 लगायत 9 के वारिसान व स्वयं 10 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा एवं नजरी नक्शे को सही होना स्वीकार किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बागोर में दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया जाकर राजीनामा अनुसार वादपत्र में डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागोर की आराजी नम्बर 4716 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 4741 में से 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये लाल रंग अनुसार तथा चाह की आराजी नम्बर 4717 का सम्पूर्ण रकबा 04 बिस्वा वादीगण के नाम तथा आ0नं0 4713 में से 6 बिस्वा रकबा प्रतिवादी संख्या 7-8-9 के वारिसान एवं 10 के नाम संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये हरे रंग अुसार खातेदारी से राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार पर्चाडिक्री जारी हो। डिक्री के साथ निर्णय एवं नजरी नक्शे की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बागोर में तैयार करा खुले आम सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

9/4–सोहनी पुत्री हीरालाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल के विधिक वारिसानः–
9/4/1– बद्रीलाल पिता लेहरू जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल
10. लक्ष्मणलाल पिता हीरालाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल ———प्रतिवादीगण
11. तहसीलदार सा0 मांडल जिला भीलवाड़ा

:: वाद बाबत– बटवाड़ा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी घोषणा ::
(अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 R.T.Act.)

वाद संख्या 33/2019 निर्णय दिनांक **20.10.2021**

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादीगण श्री एस0एल0वैद व प्रतिवादीगण स्वयं ने उपस्थित होकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प बागोर में लोक अदालत की भावना से दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया जाकर राजीनामा अनुसार वादपत्र में डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर तहसील मांडल की आराजी नम्बर 4716 रकबा 1 बीघा15 बिस्वा, आ0नं0 4741 में से 14 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये लाल रंग अनुसार तथा चाह की आराजी नम्बर 4717 का सम्पूर्ण रकबा 04 बिस्वा वादीगण के नाम तथा आ0नं0 4714 में से 01 बिस्वा व आ0नं0 4715 में से 05 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 06 बिस्वा भूमि कमी कर प्रतिवादी संख्या 7–8–9 के वारिसान एवं 10 के नाम संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये हरे रंग अनुसार खातेदारी से राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में इन्द्राज किया जावे। डिक्री के साथ निर्णय एवं नजरी नक्शे की प्रति भिजवाई जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

(आदेश 20 नियम 6 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास डॉ0 पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

अनवान

1. मोहम्मद नूर पुत्र अब्दुल रहमान शेख निवासी बागोर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के विधिक वारिसान –

1/1–हबीबनूर पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

1/2–वाहिदनूर पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

1/3–सुल्ताननूर पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

1/4–आमीर अहमद पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

1/5–आशिया बानू पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

1/6–लाडलीबानू पिता मोहम्मद नूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

2. अहमदनूर पिता अब्दुल रहमान निवासी बागोर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के विधिक वारिसान –

2/1–बिस्मिलाबेगम पत्नि स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

2/2–मुजिबुर रहमान पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

2/3–अताउर रहमान पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

2/4–शमीम पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल

2/5–नसीम पिता स्व0 अहमदनूर शेख निवासी बागोर तहसील मांडल –––––वादीगण

बनाम

1. मोहम्मद इब्राहिम पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली
2. ईसहाक मोहम्मद पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली
3. नूर मोहम्मद पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली
4. सुलेमान पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली
5. अलारखी बाई बेवा स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली
6. हलीमा बाई पिता स्व0 जान मोहम्मद शेख निवासी रानी स्टेशन जिला पाली
7. हरलाल पिता देईचन्द जाट निवासी बाजिया का खेडा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा मृतक के विधिक वारिसान:–

7/1–नानूराम पिता हरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

7/2–नन्दूदेवी पुत्री हरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

7/3–बाली देवी पुत्री हरलाल जाट नि0बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

8. सोलाल पिता देईचन्द जाट निवासी बाजिया का खेडा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा मृतक के विधिक वारिसान:–

8/1–उदयराम पिता स्व0 सोलाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

8/2–रूकमण पुत्री स्व0 सोलाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

8/3–जमनादेवी पुत्री स्व0 सोलाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

8/4–शंकरलाल पिता स्व0 सोलाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल मृतक के विधिक वारिसान:–

8/4/1–गोहनीदेवी पत्नि शंकरलाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

8/4/2–अभिषेक पिता शंकरलाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

9. हीरालाल पिता देईचन्द जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल मृतक के विधिक वारिसान:–

9/1–गोपीलाल पिता हीरालाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

9/2–लक्ष्मणलाल पिता हीरालाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

9/3–गंगा पुत्री हीरालाल जाट नि0 बाजिया का खेड़ा तहसील मांडल

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

नजरी नक्शा – निर्णय का भाग रहेगा

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

नक्शा क्षेत्र ग्राम बागोर
त० माण्डल
जिला – भीलवाड़ा
जरीब १३२ फीट

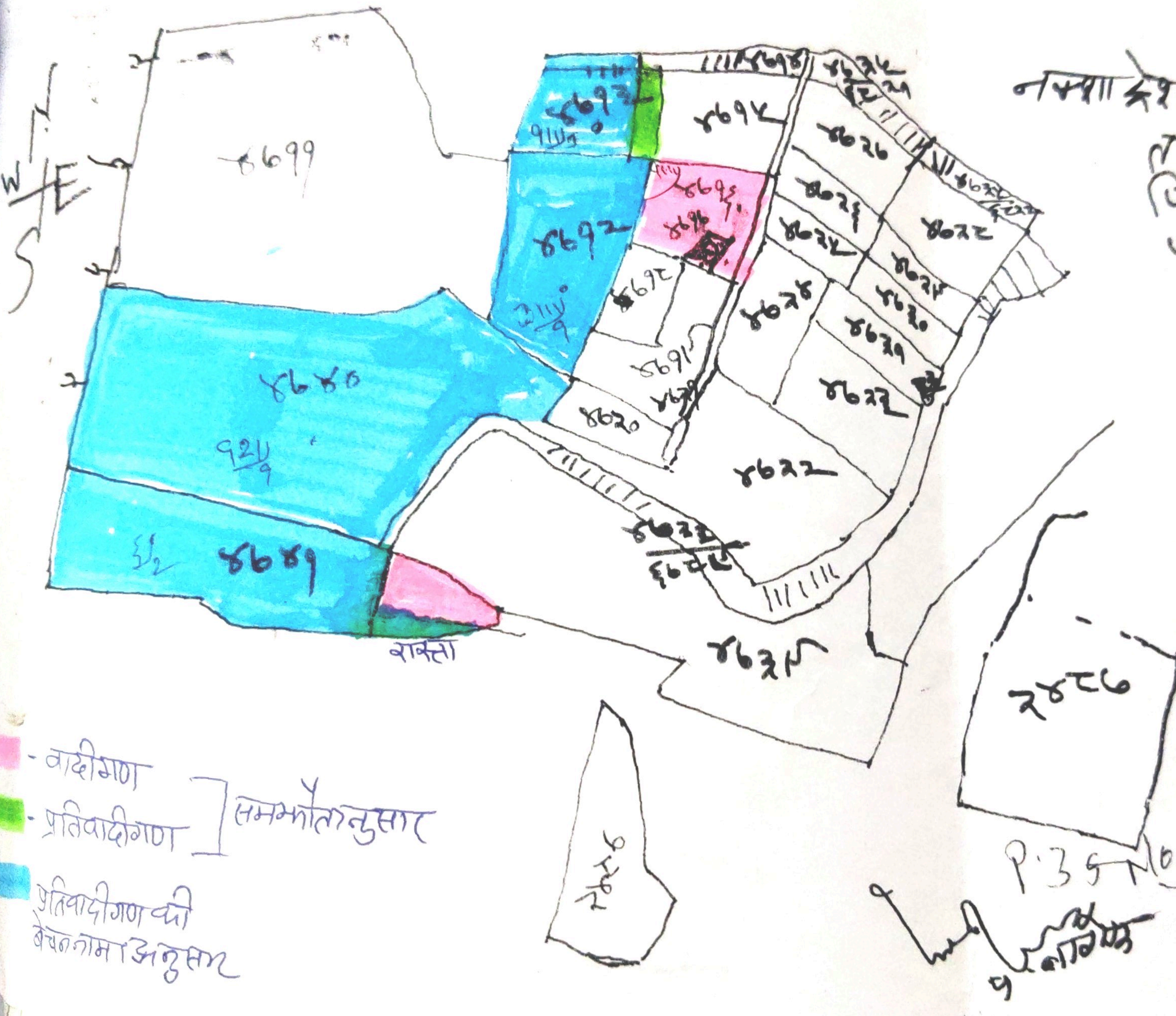

- वादीगण
- प्रतिवादीगण] समझौतानुसार

प्रतिवादीगण की बेचाननामा अनुसार

0.64 एकड़

इसहाक मो